LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Friday, 13 March 2020 / 23 Phalgun 1941 (*Saka*)

No. 04

02.06 PM **Shri Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in Chair**
NATIONAL SONG (VANDE MATARAM)

1. 2.07 PM Members of the House insisted that their notices on Adjournment Motion and Short Duration Discussion be admitted. The Chair stated that he had not allowed any business other than the listed business to be considered during the special session.

2. 2.12 PM **Statement made by Hon'ble Minister (Rule-270) :**
Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development made a statement regarding the problems and apprehensions related to updation of National Population Register which is slated to begin from April 1, 2020.

3. 2.29 PM **Government Resolution (Rule-90)** :
Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development moved the following Resolution under Rule-90 with the leave of the House :

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi, in its sitting held in Delhi on 13 March, 2020, resolves:

Taking note of the fact that the Parliament of India has recently made certain amendments to the Citizenship Act, 1955 through CAA which was assented to by Hon'ble President of India on 12 December, 2019,

Taking further note of the fact that the exercise for updating National Population Register (NPR) is going to start very soon vide which data on 9 new points are proposed to be obtained,

Taking note of the fact that there is widespread belief among public that the Government of India (GoI) will seek documents from the public to prove their citizenship and prepare a National Register of Citizens (NRC) thereafter based on the documents obtained and the new NPR,

Taking further note of the fact that there is fear and panic writ-large in the society about NRC which will determine who is not a citizen and all such people will be sent to detention centres,

With the considered view that since independence no other issue has agitated the minds of the people of India as much as the issue of NRC and the fear of being thrown into detention centres arbitrarily,

Viewing grimly the resultant prolonged agitations across India against NPR/NRC,
With the hope that the genuine questions that are agitating the minds of citizenry such as:

1. Will NPR data feed into NRC?
2. When will NRC be started?
3. What documents will be accepted as conclusive proof of citizenship?
4. If a bona fide citizen is not in possession of any of these documents, how does he/she obtain them now?

will be answered by the Government of India, in true democratic spirit, to the satisfaction of those living in fear of being thrown into detention centres,
That more than 90% of the people of India won't have expected documents and the whole exercise of seeking documents to prove their citizenship will put the citizens of India to untold miseries, cause widespread panic and create a peculiar situation when such large number of people will be unable to prove their citizenship,

Earnestly appeals to the Government of India that in the interest of the Nation, particularly when the economy is witnessing worst ever down slide and the unemployment is witnessing terrifying growth and with the threat of Corona pandemic looming large, it invests all its energies and resources on real needs of the people of India rather than unnecessary issues like NPR/NRC,

Therefore, urges upon Government of India to withdraw and not carry out the whole exercise of NPR and NRC;

Should the Government of India insist on going ahead, to restrict the exercise to NPR only with 2010 format with no new fields added to it."

The following Members participated in the discussion :

1. Smt. Atishi
2. Sh. Raghav Chadha
3. Sh. Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip
4. Sh. Jarnail Singh
5. Sh. Amanatullah Khan
6. Sh. Shoaib Iqbal
7. Sh. Mohan Singh Bisht
8. Sh. Rajesh Gupta
9. Sh. Vijender Gupta

4. 3.56 PM Pandemonium ensued in the House on certain objectionable remarks made by Sh. Vijender Gupta, Member of BJP.
The Members of Ruling Party trooped into the well.
The Chair directed to expunge the objectionable remarks. The Hon'ble Members of the Ruling Party demanded that an apology be tendered by Sh. Vijender Gupta, Member.
Uproar continued in the House.

5. 4.00 PM **The Chair adjourned the sitting of the House upto 4:15 PM due to continuous disturbance.**

6. 4.25 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

7. 4.26 PM Members of the Ruling Party insisted that the Chair direct Sh. Vijender Gupta to tender an apology.
Sh. Vijender Gupta started exchanging arguments with the Chair.
The Chair named Sh. Vijender Gupta, Member and debarred him from the remaining proceedings of the day.

Discussion on the Resolution continued:

10. Sh. Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare
11. Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
12. Sh. Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
13. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister

Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution moved by **Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development** was put vote and adopted by voice-vote.

(6.02 PM: The Chair extended the sitting of the House up to 7.00 PM)

10. 6.03 PM **Statement by Hon'ble Minister (Rule-270) :**

Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Health made a statement regarding the prevailing situation and precautionary measures taken on account of **"**Novel Corona Virus (COVID-19)".

The following Members participated in the discussion :

1. Sh. Sanjeev Jha
2. Sh. Kuldeep Kumar
3. Sh. Vinay Mishra
4. Sh. Ajay Dutt
5. Sh. Anil Kumar Bajpai
6. Sh. Vishesh Ravi
7. Sh. Virender Singh Kadian
8. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
9. Sh. Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Sh. Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Health replied to the discussion.
Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister also expressed his views.

11. 7.02 PM **Election of Financial Committees :**

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister moved the following motion:
"That the Members of this House do proceed to elect, in the manner required under Rule 192(2), Rule 194(2) and Rule 196(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, nine Members each from amongst themselves to serve as Members of the Committee on Public Accounts, Committee on Estimates and Committee on Government Undertakings beginning from 1st April, 2020".
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

12. 7.03 PM The Chair informed the House regarding the constitution of the Committee on Peace and Harmony and its Terms of Reference.

13. 07.05 PM Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip moved the following motion:
"This House welcomes the decision of the Hon'ble Speaker to constitute the Committee on Peace and Harmony and approves the Terms of Reference of the Committee"
The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

14. 7.05 PM The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, Hon'ble Members and other agencies for their co-operation in smooth conduct of the Special Session.

15. 7.06 PM ***National Anthem – Jan-Gan-Man***
The Chair adjourned the House *sine-die*.

Delhi **C. Velmurugan**
13th March, 2020 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
शुक्रवार, 13 मार्च, 2020 / फाल्गुन 23, 1941 (शक्)

संख्या–04

2.06 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 2.07 बजे सदन के सदस्यों ने आग्रह किया कि उनके द्वारा दी गई कार्य स्थगन प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा की सूचनाओं को स्वीकार किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विचारार्थ लिए जाने वाले सूचीबद्ध कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य की अनुमति नहीं दी है।

2. 2.12 बजे **माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य (नियम–270) :**
श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतनीकरण के संबध में समस्याओं और आशंकाओं के बारे में वक्तव्य दिया।

3. 2.29 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90) :**
श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने सदन की अनुमति से नियम–90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 13 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि:

यह देखते हुए कि भारतीय संसद ने हाल ही में सी.ए.ए. के माध्यम से नागरिकता अधिनियम, 1955 में कुछ संशोधन किए हैं जिस पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 12 दिसम्बर, 2019 को अपनी सहमति दे दी है,

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू होने जा रही है, जिसमें 9 नये बिन्दुओं पर डाटा लिया जाना प्रस्तावित है,

यह देखते हुए कि जनसामान्य में यह व्यापक धारणा बन चुकी है कि भारत सरकार जनता से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज लेगी और तत्पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों और नये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के आधार पर एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.आर.सी.) तैयार किया जाएगा,

आगे यह देखते हुए कि समाज में एन.आर.सी. के विषय में डर और खलबली का वातावरण है जो यह निर्धारित करेगा कि कौन नागरिक नहीं है और ऐसे सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा।

यह स्पष्टतः मानते हुए कि आजादी के बाद से किसी अन्य मुद्दे ने भारत के लोगों के मन को इतना आंदोलित नहीं किया है, जितना कि एन.आर.सी. के मुद्दे ने और मनमाने तरीके से डिटेंशन सेंटर में डाले जाने के भय ने,

फलतः एन.पी.आर. / एन.सी.आर. के विरूद्ध देशव्यापी चल रहे लंबे आंदोलनों को विषादपूर्वक देखते हुए,

इस आशा से कि नागरिकों के मन को आंदोलित कर रहे वास्तविक प्रश्नों जैसे कि:–

1. *क्या एन.पी.आर. डाटा एन.आर.सी. में डाला जाएगा?*
2. *एन.आर.सी. कब शुरू होगा?*
3. *नागरिकता के निर्णय के साक्ष्य के रूप में कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे?*

4. यदि किसी प्रामाणिक नागरिक के पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह उन्हें अब कैसे प्राप्त कर सकता है?

का डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने के डर से सहमे हुए नागरिकों की संतुष्टि के लिए, भारत सरकार द्वारा सच्ची प्रजातांत्रिक भावना से उत्तर दिया जाएगा,

कि 90 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के पास वांछित दस्तावेज नहीं होंगे और नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज हासिल करने की पूरी प्रक्रिया भारत के नागरिकों को अनकहे दुखों की तरफ ले जाएगी, अत्यधिक भय पैदा करेगी और एक ऐसी असामान्य स्थिति पैदा कर देगी जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे,

भारत सरकार से दृढ़ता से अपील की जाती है कि राष्ट्रहित में, विशेषतः जबकि देश की अर्थव्यवस्था अधोगति से सबसे खराब दौर से गुजर रही है और बेरोजगारी चरम गति से बढ़ रही है और कोरोना महामारी का खतरा व्याप्त है, एन.पी.आर./एन.आर.सी. जैसे अनावश्यक मुद्दों की बजाए यह अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन भारत के लोगों की वास्तविक जरूरतों पर लगाये।

अतः भारत सरकार से यह अनुरोध है कि एन.पी.आर. एवं एन.आर.सी. की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए और वापिस ले। (फिर भी यदि भारत सरकार आगे बढ़ने पर जोर देती है तो एन.पी.आर. की प्रक्रिया में किसी नये प्रावधान को जोड़े बिना इसे 2010 के प्रारूप तक प्रतिबंधित किया जाए)''

निम्नलिखित सदस्यो ने चर्चा में भाग लिया :

1. सुश्री आतिशी
2. श्री राघव चढ्डा
3. श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक
4. श्री जरनैल सिंह
5. श्री अमानातुल्ला खान
6. श्री शोएब इकबाल
7. श्री मोहन सिंह बिष्ट
8. श्री राजेश गुप्ता
9. श्री विजेन्द्र गुप्ता

4. 3.56 बजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण सदन में शोर–शराबा प्रारम्भ हो गया।
सत्ता पक्ष के सदस्य वैल में आ गए।
अध्यक्ष महोदय ने आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्यवाही से निकालने का निर्देश दिया। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मांग की कि श्री विजेन्द्र गुप्ता क्षमा याचना करें।
सदन में शोर–शराबा जारी रहा।

5 4.00 बजे **अध्यक्ष महोदय ने लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.15 बजे तक स्थगित की।**

6 4.25 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

7 4.26 बजे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय श्री विजेन्द्र गुप्ता को क्षमा याचना करने का निर्देश दें।
श्री विजेन्द्र गुप्ता ने अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करना प्रारम्भ किया।
अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को इंगित किया और उन्हें दिन की शेष कार्यवाही से निलम्बित कर दिया।
संकल्प पर चर्चा जारीः

10. श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री
11. सुश्री राखी बिरला, माननीय उपाध्यक्ष
12. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

13. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से पारित हुआ।

[*6.02 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि सांय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाई*।]

8 6.03 बजे **माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य (नियम–270) :**

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने ''नॉवल कोरोना वायरस (कोविड–19)'' के बारे में विद्यमान स्थिति तथा बचाव उपायों के संबंध में वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यो ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री संजीव झा
2. श्री कुलदीप कुमार
3. श्री विनय मिश्रा
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
6. श्री विशेष रवि
7. श्री वीरेंद्र सिंह काद्‌यान
8. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
9. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

9. 7.02 बजे **वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन :**

श्री अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :

''*दिल्ली विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–192 (2), नियम–194(2) और नियम–196(2) के अनुसरण में इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल, 2020 से आरम्भ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपकमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन करने हेतु अग्रसर होते हैं।*''

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से पारित हुआ।

10 7.03 बजे अध्यक्ष महोदय ने शांति और सद्‌भाव संबंधी समिति के गठन तथा इसके नियम एवं शर्तों के संबंध में सदन को सूचित किया।

11 7.05 बजे श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

''*यह सदन शांति और सदभाव संबंधी समिति गठित करने के अध्यक्ष महोदय के निर्णय का स्वागत करता है तथा इस समिति के नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता है।*''

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से पारित हुआ।

12. 7.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

13. 7.06 बजे *राष्ट्र गान : जन–गण–मन*

सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली **सी. वेलमुरूगन**

13 मार्च, 2020 **सचिव**